

न्यायालय नायब तहसीलदार पीलवा (नागौर) राजस्थान

प्रार्थी राज.सरकार जरिये पटवारी हत्या कालेडा  
बनाम

अप्रार्थी - श्री शिवरामस/बोडुवा निवासे कालेडा अन्तर्गत बारा ६१/१२३४  
अधिनियम 1956 315

प्रकरण संख्या 60 / 2018

दिनांक 16-10-18

पत्रावली का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि पटवारी हत्या कालेडा अप्रार्थी के विरुद्ध टी.पी.रिपोर्ट प्रस्तुत की है कि अप्रार्थी द्वारा सन्त 2075 में सन्त कालेडा के खसरा नम्बर 99 में बिना मै.बु.रा.रा. रकबा 0.03 ई. बाधा भूमि बणी बोड कर अतिक्रमण किया है। जिस पर मै.बु.रा.रा. के द्वारा मै.बु.रा.रा. किया जाकर अप्रार्थी को वास्ते जमान सन्त नोटिस जारी किया गया है। स नोटिस तामिल होने पर शामिल पत्रावली किया गया। अप्रार्थी की तरफ से मै.बु.रा.रा. ने दिनांक 16-10-18 को उपस्थित होकर मै.बु.रा.रा. प्रस्तुत किया जिसे शामिल पत्रावली किया गया।

पत्रावली का अन्तर्गत कालेडा अन्तर्गत बारा ६१/१२३४ का अवलाकन किया है। अप्रार्थी द्वारा कालेडा खसरा नम्बर 99 में मै.बु.रा.रा. में रकबा 0.03 ई. बाधा का भूमि पर अतिक्रमण किया जा रहा है। सिद्ध होना पाये जाने पर अप्रार्थी को अतिक्रमण धरित किया गया है।

अतः अप्रार्थी द्वारा कालेडा अतिक्रमण धरित करने में अतिक्रमण धरित धेदखल करने का आदेश पारित किया जात है। लगान दर 6/- प्रति एक ई. दर से अतिक्रमण रकबा 0.03 ई. से 0.18 तक। 9/- अक्षरे मै.बु.रा.रा. रूप से मै.बु.रा.रा. दायित्व मै.बु.रा.रा. तहसील राजस्थान लेखकार के पटवारी हत्या का मामला कारण कर चकुरी मै.बु.रा.रा. पटवारी हत्या के आदेश दिया जात है कि अप्रार्थी को मान से नोटिस कर के मै.बु.रा.रा. पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करें।

निर्णय आज दिनांक 16-10-18 को उक्त अवलाकन में जारी है।

नायब तहसीलदार